न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा जिला रायगढ़ छ०ग०

रा०प्र०क्र० 45 /अ-2/2000-2001

ग्राम तराईमाल प०ह०नं० 36 तह० घरघोड़

नलवा स्पंज आयरन प्रा०लिमि०,
द्वारा रामदुलार गुप्ता आ० प्रयागराज गुप्ता
निवासी तराईमाल प.ह. नं. 36 तह. घरघोड़ा. ------ आवेदक

बनाम

छत्तीसगढ़ शासन ------ अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक 3/8/2001)

आवेदक नलवा स्पंज आयरन प्रा०लिमि० की ओर से रामदुलार गुप्ता आ० प्रयागदास गुप्ता निवासी तराईमाल प.ह.नं. 36 रा.नि.मं. तमनार तह. घरघोड़ा द्वारा ग्राम तराईमाल में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 141/7 रकबा 8.850 हे. भूमि में से 4.000 हे. भूमि (436000 वर्गफीट) पर औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तित किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया.

तदनुसार प्रकरण दर्ज किया जाकर म०प्र०भू०रा०सं० 1959 की धारा 59-172 के प्रावधान अनुसार प्रकरण में ईश्तहार जारी किया जाकर आपत्ति दावा आमंत्रित किया गया एवं ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रस्ताव प्राप्त किया गया. हल्का पटवारी से प्रतिवेदन एवं राजस्व निरीक्षक से परिवर्तित भूमि का गणना पत्रक तैयार कराया जाकर प्रकरण में संलग्न किया.

उक्त आधार पर संहिता की धारा 172(1) के अधीन आवेदक को खसरा क्रमांक 141/7 रकबा 8.850 हे० मे से 4.000 हे० (436000 वर्गफीट) भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन करने की अनुमति दी जाती है, किन्तु धारा 59(1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उक्त भू-खण्ड जिसका क्षेत्रफल 436000 वर्गफीट है के लिये 3052.00 रूपये भू-भाटक एवं 1526-00 रूपये पंचायत उपकर वार्षिक पुर्ननिर्धारण किया जाता है जो वर्ष 2000-2001 से प्रभावशील होगा. तथा म०प्र०भू०रा०सं० 1959 की धारा 172(4) के प्रावधान अनुसार उस पर 200-00 (दो सौ) रूपये शास्ति अधिरोपित किया जाता है.

आदेश पारित एवं घोषित.

अनुविभागीय अधिकारी 3/8/01
घरघोड़ा जिला रायगढ़

556
9/8/2001

सत्य-प्रतिलिपि